

रेल मंत्रालय / डीएफसीसीआईएल

बडादरा-रेवाड़ी के बीच डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना (प्रथम चरण) के लिए
पुनर्वास और पुनः स्थापना योजना

(आर आर पी)

नवम्बर — 2012

कार्यकारिणी सारांश

परियोजना—एक नजर में

रेल मंत्रालय दो महानगरों दिल्ली और मुंबई और उनके अपने राज्यों के बीच कम यातायात लागत और कम समय में बिना किसी बाधा के बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं के शीघ्र और सरल यातायात के लिए एक बहु आयामी उच्च एक्सल लदान डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। निर्माण कार्य वर्ष 2013 से 2016 के बीच में पूरी करने की योजना है वाणिज्यिक यातायात दिसम्बर 2017 से शुरू होने की योजना है।

सामान्य विशेषताएं

- कोरीडोर की लंबाई: 930 कि.मी.
- जंक्शन स्टेशन: 10, कासिंग स्टेशन— 20
- प्रमुख एवं महत्वपूर्ण पुलों की संख्या— 207
आर ओ बी की संख्या— 08
- जहां से संरेखण गुजरेगा: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा
 - शामिल जिले: 17
 - शामिल गाँव: 451
- रास्ते की चौड़ाई: समानांतर सेक्शन में लगभग 35 मी., घुमावदार सेक्शन में 60 मी.
- अधिकतम गति: 100 कि.मी. प्रति घंटा

परियोजना के लाभ

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण के साथ-साथ भारत में अर्थव्यवस्था की वर्तमान दर को बढ़ाने में मदद करना है:

- भारत में मालभाड़ा यातायात के सुधार के कारण राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास को तेज करना।
- डीएफसी के साथ औद्योगिक विकास के बढ़ने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

- डीएफसी द्वारा दूरी और गति के आधार पर वन और मत्स्य विभाग के साथ-साथ क्षेत्र में किसानों के लिए बाजार का विस्तार और सुधार होगा जिससे कृषि उत्पादन के यातायातायन में सुधार होगा।
- ट्रक द्वारा यातायात की तुला में वस्तुओं के यातायात के लिए कम उर्जा का उपयोग।
- डीएफसी संरेखण के साथ स्थानीय समुदाय के लिए कोई उत्सर्जन नहीं (सड़क द्वारा ट्रक से गैसियस उत्सर्जन की कमी)

पश्चिमी कोरीडोर में डीएफसी परियोजना (द्वितीय चरण) का भूमि अधिग्रहण पैटर्न

डीएफसी रेखांकन वडोदरा-अहमदाबाद-पालनपुर-अजमेर और रेवाड़ी से होकर गुजरता है। भूमि के अधिग्रहण और पुनः स्थापना का रेखीय पैटर्न परियोजना अभिकल्प के लिए अपेक्षित होगा। स्थायी प्रकार के ढांचे, स्थानीय समुदाय, शहरी नियोजन क्षेत्र, रिहायशी क्षेत्र, परियोजना के साथ घने बसे हुए शहरी क्षेत्र में अभ्यारण आदि को बचाने या नुकसान को कम से कम करने के लिए घुमावदार रेखांकन पर विचार किया गया है। मूल रूप से कुछ जगहों पर रेखांकन वर्तमान रेलवे लाइन के समान्तर है। जबकि सूरत, धानु, बसई, कुन्दे बहार और रेवाड़ी-दादरी में यह घुमावदार है, दोनों ही स्थितियों समानांतर और घुमावदार सेक्शनों में कुछ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी।

(D) निष्पादन एजेन्सी (EA)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

डीएफसी परियोजना के लिए आधारभूत विधान और भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनः स्थापना

- रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008
ऐसा अधिनियम है जिसके अंतर्गत डीएफसी परियोजना (जिसे विशेष रेलवे परियोजना के रूप में घोषित किया गया है) द्वारा भूमि अधिगृहित की जा रही है। इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 लागू नहीं हैं।
- राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति, 2007

डीएफसी परियोजना के लिए बहुत कम भूमि की आवश्यकता है। रेलवे परियोजना के लिए रेखीय भूमि अधिग्रहण पर एनआरआरपी 2007 का पैरा 7.19 मूल रूप से डीएफसी परियोजना के लिए लागू है।

➤ सक्षम प्राधिकारी

ऐसा अधिकारी जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र के लिए, जो डीएफसी परियोजना के लिए विशेष रूप से उल्लिखित हों, के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया हो।

आर ए ए 2008 के अनुसार इच्छुक व्यक्ति

1. इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति का दावा करने वाले सभी व्यक्ति।
2. आदिवासी और अन्य वनवासी जो अनु.ज.जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अपने पारंपरिक अधिकारी खो चुके हैं।
3. ऐसा व्यक्ति जो भूमि की सुविधा से प्रभावित हो
4. ऐसे व्यक्ति जो राज्य के नियमों के अंतर्गत किराये का अधिकार रखते हों।

अंतिम तारीख

आर ए ए 2008 / एनआरआरपी 2007 के अनुसार पात्रता के लिए अंतिम तारीख है:-

- i) अंतिम उपाधिधारियों एवं गैर उपाधिधारियों के लिए वह तारीख जब आर ए ए 2008 की धारा 20 ए के अंतर्गत अधिसूचना निर्धारित की गई हो।

पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति

पुनः स्थापना और पुनर्वास नीति उन सिद्धांतों पर आधारित है कि परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति परियोजना से पहले की उनकी स्थिति से अच्छी हो।

नीति के अनुसार आरआरपी के उद्देश्य

- परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति परियोजना के कारण उनकी पहले की स्थिति से बदतर नहीं होगी।
- सभी व्यवहार्य विकल्पों को अपनाकर भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनः स्थापना प्रभावों को बचाना या कम से कम करना।
- पुनर्वास पैकेज की पर्याप्तता सुनिश्चित करना और प्रभावित परिवारों के सक्रिय सहयोग से पुनर्वास प्रक्रिया के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
- अनु.जा./अनु.ज.जा./महिलाओं, बुजुर्गों, एवं विकलांगों/असुरक्षित समूहों जैसे कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष देख-भाल
- बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना और पीएपीज के भरण-पोषण के लिए आय प्रदान करना।
- अपेक्षित निकाय और प्रभावित परिवारों के बीच आपसी सहयोग द्वारा मेत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना।
- भूमि को लेने और उस पर किसी प्रकार की निर्माण गतिविधि आरंभ करने से पूर्व क्षतिपूर्ति और पुनः स्थापना सहायता के भुगतान को सुनिश्चित करना।

मौलिक क्षतिपूर्ति नीति

- भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी रेल मंत्रालय द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी की होगी।
- मूलरूप से क्षतिपूर्ति की राशि भूमि खोने वाले व्यक्ति को आर एए 2008 के अनुसार दी जाएगी। आर एए 2008 के अनुसार बाजार दर निर्धारित की जाएगी और भूमि की बाजार दर के अलावा हर मामले में अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बाजार कीमत की 60 प्रतिशत राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी (सेक्शन 20एफ(9), आरआरए 2008)। अन्यथा, राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए मंजूर दर को सक्षम प्राधिकारी आर एए 2008 के अनुसार अपना सकते हैं।

- भूमि में इच्छुक कोई व्यक्ति भूमि अधिग्रहण के इरादे की घोषणा के लिए अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर भूमि अधिग्रहण के लिए आपत्ति प्रकट कर सकता है (सेक्शन 20डी(1),आरआरए 2008)।
- भवन और अन्य अचल सम्पत्ति या सम्पत्तियां, वृक्ष, पौधे और उस भूमि या भवन पर खड़ी फसल जिसे अधिगृहित किया जाना है, की बाजार कीमत का निर्धारण उस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा (सेक्शन 20 जी (4,5,6), आरआरए 2008)।
- क्षतिपूर्ति राशि सामान्यतः भूमि अधिग्रहण की घोषणा की अधिसूचना के एक वर्ष के अंदर दे दी जाएगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाई गई स्थिति में एक ईनाम भी दिया जाता है। अधिकृत व्यक्तियों को ईनाम में देरी के कारण ऐसे विलंब के प्रत्येक माह की उस अवधि के लिए एक अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाएगी (सेक्शन 20 एफ (1,2),आरआरए 2008)
- क्षतिपूर्ति लेने के लिए नोटिस के एक वर्ष बाद तक यदि इच्छुक व्यक्ति क्षतिपूर्ति राशि के लिए दावा नहीं करता है तो ऐसे मामले में क्षतिपूर्ति राशि ईए के पास एक अलग खाते में परियोजना के अंत तक रख दी जाएगी। इच्छुक पाटियां अपनी क्षतिपूर्ति का दावा या तो स्वयं या अपने वैध उत्तराधिकारी के माध्यम से संतोषजनक सत्यापन के बाद कर सकती हैं।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में से कुछ भी लागू नहीं होगा।
- रेलवे लाइनों जैसे रेखीय अधिग्रहण के मामले में, जहां परियोजना के उद्देश्य के लिए बहुत कम भूमि अर्जित की जाती है या रास्ते का उपयोग किया जाता है, प्रभावित परिवार में प्रत्येक खातेदार को अपेक्षित निकाय द्वारा एक इतनी अनुदान राशि के भुगतान की पेशकश की जाएगी जितनी उपयुक्त सरकार द्वारा तय हो किंतु 20000/-रु. से कम न हो। क्षतिपूर्ति के अलावा या अधिनियम के अंतर्गत देय कोई अन्य लाभ या कार्यक्रम या योजना जिसके अंतर्गत भूमि, घर या अन्य सम्पत्ति अर्जित की जाती है (एनआरआरपी 2007)।

- पीएपीज के मामले में जो भूमिहीन कर दिये जाते हैं या भूमि अधिग्रहण के कारण उनकी स्थिति छोटे या सीमांत किसान तक सीमित कर दी जाती है तो वे 750 दिन की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर पुनर्वास सहायता पाने के हकदार होंगे।

परियोजना के लिए पुनर्वास और पुनःस्थापना के लिए सामान्य सिद्धान्त

- परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/परिवार (पीएपीज/पीएएफस) को उपाधिकारी, गैर उपाधिधारी, किओस्क, वेंडर्स आदि में कोटिकृत किया जाएगा।
- विभिन्न श्रेणियों के पीएपीज के लिए मौलिक पात्रता (इनटाइटलमेंट मैट्रिक्स) के अनुसार क्षतिपूर्ति और सहायता दी जाएगी।
- पीएपीज का उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए परियोजना लागत पर सहायता दी जाएगी।
- मौलिक पात्रता(इनटाइटलमेंट मैट्रिक्स) के अनुसार असुरक्षित पीएपीज को पुनर्वास और पुनः स्थापना के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
- पीएपीज अपनी खोई हुई सम्पत्ति के लिए क्षतिपूर्ति स्थानापन्न लागत पर प्राप्त करेंगे।
- अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद यदि कोई परियोजना क्षेत्र में आता है तो वह सहायता का हकदार नहीं होगा।
- परियोजना का अलग पुनः स्थापना बजट होगा।
- पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति, न्यूनीकरण उपाय, पुनः स्थापना योजना तैयारी और कार्यान्वयन से संबंधित समस्त प्रकार की सूचना पीएपीज सहित सभी स्टैक होल्डरों को दी जाएगी।
- अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए परियोजना के विभिन्न स्तरों पर स्टैक होल्डरों के साथ लोक परामर्श बैठक आयोजित की जाएगी।
- झगड़ों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त शिकायत निपटान तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- स्टैक होल्डरों और पीएपीज के साथ हुई बातचीत को दर्ज किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अर्थपूर्ण बातचीत पुनर्वास और पुनःस्थापना योजना के दौरान भी जारी रहेगी।
- अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद उपाधिधारक/टेनेंसी की स्थिति में किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्षतिपूर्ति, सहायता और पुनर्वास के लिए पात्रता

- पात्रता के लिए अंतिम तारीख वह तारीख है जिस पर प्रभावित क्षेत्र में वैध मालिकों और गैर उपाधिधारकों के लिए आरएए 2008 की धारा 20 ए के अंतर्गत निर्धारित अधिसूचना के अनुसार अधिसूचना जारी की जाती है।
- पीएपीज की विभिन्न श्रेणियों के पात्रता नीचे अनुवर्ती में दिखाए गए मौलिक पात्रता के अनुसार होगी।
- पात्रता की इकाई परिवार होगी।
- उपाधिधारक पीएपीज सहायता के साथ-साथ क्षतिपूर्ति के लिए भी पात्र होगा
- गैर उपाधिधारक पीएपीज उनके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा। फिर भी भूमि पर किए गए निवेश जैसे ढांचों और अन्य संपत्तियों के स्थानापन्न कीमत के अनुसार क्षतिपूर्ति मिलेगी (इनटाइटिलमेन्ट मैट्रिक्स के नोट डी व नोट एफ के अनुसार)। वे पुनः स्थापना नीति और मौलिक पात्रता के अनुसार आर एवं आर सहायता के लिए भी पात्र होंगे।
- गणना के दौरान न गिने गए पीएपीज के मामले में प्रभावित क्षेत्र में अंतिम तारीख से पहले उसकी उपस्थिति को कोई साक्ष्य सिद्ध करता है तो शिकायत निपटान समिति द्वारा उचित सत्यापन के बाद उसे पीएपीज की सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
- असुरक्षित समूहों के पीएपीज मौलिक पात्रता में निर्दिष्ट अतिरिक्त सहायता के लिए पात्र होंगे।
- पीएपीज ढहाई गई सामग्री के अवशेष को बिना किसी लागत के परियोजना गतिविधियों में बिना किसी देरी के ले जा सकेगा।
- बेदखली के लिए यदि कोई नोटिस किसी व्यक्ति/परिवार को अंतिम तारीख से पहले दिया गया है और मामला न्यायालय में लंबित है तो ऐसी स्थिति में पीएपीज की पात्रता न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी स्थिति के अनुसार की जाएगी और आर आर पी के प्रावधानों के अनुसार पीएपीज क्षतिपूर्ति/सहायता के लिए पात्र होगा।

आरएए 2008 और एनआरआरपी 2007 पर आधारित डीएफसीसी परियोजना के लिए
मौलिक पात्रता

(इनटाइटलमेंट मैट्रिक्स)

क्रम संख्या	आवेदन	प्रभावित व्यक्तियों की परिभाषा	हकदारी	विवरण
(क) निजी कृषि, रिहायशी और वाणिज्यिक भूमि की हानि				
1	परियोजना के रास्ते में आने वाली भूमि	पारम्परिक भूमि अधिकारों सहित वैध शीर्षक धारक और प्रभावित पार्टियां	1. स्थानापन्न लागत पर क्षतिपूर्ति 2. पुनः स्थानापना और पुनर्वास	<p>(i) उस भूमि के लिए बाजार मूल्य पर नकद क्षतिपूर्ति जो नोट (क) (आर ए ए 2008 की धारा 20 जी) में उल्लिखित अनुसार निर्धारित की जाएगी।</p> <p>(ii) उपर्युक्त (1) आर ए ए 2008 की धारा 20 एफ (9) में निर्धारित क्षतिपूर्ति पर 60 प्रतिशत मुआवजा</p> <p>(iii) ऐसी स्थिति में जहाँ कि राज्य सरकार द्वारा कोई एक्ट या गजट नोटिफिकेशन या कोई भूमि मुआवजे के उद्देश्य से दर निर्धारण की मंजूरी की गई हो, सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त (i) एवं (ii) के बदले में उसे भी अपना सकते हैं।</p> <p>(iv) 1500 वर्ग मीटर तक की अधिग्रहित भूमि के लिए 20000/- एवं उससे ऊपर की अधिग्रहित भूमि हेतु 15 रु0 प्रति वर्ग की दर से अतिरिक्त अनुदान राशि देय होगी। (एन आर आर पी पैरा 7.19)</p> <p>(v) भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप यदि भूमि धारक भूमि</p>

			<p>हीन हा जाता है या उसकी स्थिति 'छोटे' या 'सीमांत' किसान की हो जाती है तो उसे 750 दिन के बराबर न्यूनतम कृषि मजदूरी की पुनर्वास सहायता दी जाएगी।</p> <p>(vi) संदेह/झगड़े के मामले में सक्षम प्राधिकारी मुआवजे की राशि निर्धारित करने से पूर्व एक स्वतंत्र मूल्यांकन कर्ता से मदद ले सकता है। इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया नोट बी में है।</p> <p>(vii) अधिग्रहण/अवशेष भूमि के लिए क्षतिपूर्ति की नीति नोट सी के अनुसार होगी।</p> <p>(viii) स्टैंड ड्यूटी का रिफंड और स्थानापन्न भूमि के लिए लगाए गए पंजीकरण प्रभार परियोजना द्वारा दिये जाएंगे। स्थानापन्न भूमि, आर ए ए, 2008 की धारा (एच) के अनुसार प्रभावित पार्टी को दिए गए क्षतिपूर्ति के भुगतान की तारीख से एक वर्ष के अंदर खरीद ली जाएंगी।</p>
--	--	--	---

2		पंजीकृत किरायेदारों, ठेकेदारों और पट्टे धारक	खड़ी फसल के लिए बाजार दर पर क्षतिपूर्ति	पंजीकृत किरायेदार ठेकेदार और पट्टेधारक भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए योग्य नहीं है। वे बाजार दर पर अग्रिम क्षतिपूर्ति के लिए तभी योग्य होंगे जब ई ए द्वारा 3 माह पूर्व नोटिस नहीं दिया गया हो।
3		अपंजीकृत किरायेदार, ठेका खेतीहार, पट्टे धारक, शेयर कोपर्स	खड़ी फसल के लिए बाजार दर पर क्षतिपूर्ति	अपंजीकृत किरायेदार, ठेका खेतीहार, पट्टे धारक और शेयर कोपर्स भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए योग्य नहीं है। वे बाजार दर पर खड़ी फसल की क्षतिपूर्ति के लिए तभी योग्य हैं जब इन्हें ई ए द्वारा 3 माह पूर्व अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। शेयर कोपर्स के मामले में क्षतिपूर्ति भू स्वामी और शेयर कोपर्स के बीच आपसी समझौते के अनुपात में होगी।

(ख) निजी ढांचे की हानि (रिहायशी) वाणिज्यिक

4	परियोजना के रास्ते में आने वाले ढांचा	शीर्षक धारक/मालिक	स्थानापन्न दर पर क्षतिपूर्ति पुनः स्थानापन्न और पुनर्वास सहायता	<p>(i) स्थानापन्न लागत पर उस ढांचे के लिए नकद क्षतिपूर्ति जो नोट डी के अनुसार निर्धारित की जाएगी</p> <p>(ii) ढहाए गए ढांचों से प्राप्त बची हुई सामग्री का अधिकार</p> <p>(iii) ढांचों को खाली कराने के लिए तीन माह का नोटिस</p> <p>(iv) उपर्युक्त (i) में निर्धारित किए</p>
---	---------------------------------------	-------------------	---	--

			<p>गए बाजार मूल्य पर प्रिवेलिंग दरों पर नए वैकल्पिक घरों/दुकानों की खरीद के लिए स्टंप ड्यूटी और पंजीकरण प्रभार का रिफंड। वैकल्पिक घरों/दुकानों में धारा 20 (एच), आर ए ए 2008 के अनुसार प्रभावित पार्टी को किए गए क्षतिपूर्ति के भुगतान की तारीख से एक वर्ष के अंदर खरीद ली जाएगी।</p> <p>(v) पुनः स्थापना और पुनर्वास सहायता निम्नानुसार लागू होगी:—</p> <p>(क) 4000/— वन प्रति परिवार पारगमन भत्ता</p> <p>(ख) प्रत्येक प्रभावित को विस्थापित होने पर 10000/— रूपए की एकमुश्त राशि स्थानान्तरण भत्ते के रूप में दी जाएगी (एन आर आर पी 2007 पैरा 7.10)।</p> <p>(ग) प्रत्येक परिवार को जिसके पास पशु है , के विस्थापित होने पर उसे पशु के शैड के निर्माण के लिए 15000/— रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। (एन आर आर पी पैरा 7.10, 2007)।</p> <p>(घ) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति जो एक ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्व रोजगार व्यक्ति है के विस्थापित होने पर उसे वर्किंग शैड या दुकान के निर्माण के लिए 25000/— रूपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। (एन आर आर पी पैरा 7.12, 2007)।</p> <p>(ङ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को घर बनाने की सहायता हेतु</p>
--	--	--	---

				ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्तमान लागत के समकक्ष एवं शहरी क्षेत्रों में जे एन यू आर एम के अन्तर्गत लागत के समकक्ष
5	परियोजना के रास्ते में आने वाला ढांचा	किराएदार/पट्टे धारक	पुनः स्थापना और पुनर्वास सहायता	<p>(i) पंजीकृत पट्टे धारी स्थानीय कानून के अनुसार ढांचा मालिक को देय क्षतिपूर्ति के विभाजन का हकदार होगा।</p> <p>(ii) किरायेदार के मामले में 10000/- रूपए की राशि स्थानान्तरण भत्ते के सहित तीन माह का लिखित नोटिस भी देना होगा। (एन आर आर पी 7.11)</p> <p>(iii) ढांचे को खाली करनो के लिए 3 माह का नोटिस। नोटिस न दिए जाने के मामले में तब नोटिस के स्थान पर तीन महीने का किराया भत्ता दिया जाएगा।</p>
(ग) वृक्षों और फसलों की हानि				
6	परियोजना के रास्ते में खड़े वृक्ष, फसल	भू-स्वामी और हिताधिकारी	बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति	<p>(i) फलों, खड़ी फसल को काटने और वृक्षों को हटाने के लिए प्रभावित पार्टियों को 3 माह का अग्रिम नोटिस</p> <p>(ii) द्वारा प्राकलित दर पर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।</p> <p>(क) लकड़ी वृक्षों के लिए वन विभाग</p> <p>(ख) फसलों के लिए राज्य कृषि विस्तार विभाग</p> <p>(ग) पेरेनियल वृक्षों के लिए बागवानी विभाग</p>

				(घ) वृक्षों, फसलों और पेरेनियल की हानि के लिए बाजार मूल्य पर अनौपचारिक सैटलर्स/स्कवैटर्स सहित शीर्षक धारक और गैर शीर्षक धारकों को नकद सहायता।
(घ) आवासीय/वाणिज्यिक ढाँचों की क्षति (गैर शीर्षक धारकों द्वारा)				
7	परियोजना के रास्ते में आने वाले ढाँचे	20 ए के नोटिफिकेशन की तारीख तक ढाँचे का मालिक	स्थानापन्न लागत पर क्षतिपूर्ति पुनः स्थापना एवं पुनर्वास सहायता	<p>(i) कब्जेदारों (जैसा कि नोट एफ में परिभाषित है) को खाली करने के लिए 3 माह की नोटिस देनी होगी या फसल/ढाँचे की हानि हेतु क्षतिपूर्ति देय होगी यदि नोटिस नहीं दी गई हो। विशिष्ट लोगों (स्कवैटर्स) को (जैसा कि नोट एफ में परिभाषित है) नकद सहायता स्थानापन्न लागत पर जो कि नोट डी के अनुसार निर्धारित होगा, देय होगा।</p> <p>(ii) पुनः स्थापना एवं पुनर्वास सहायता इस प्रकार देय होगी—</p> <p>(क) प्रत्येक परिवार को रू0-4000/- पारगमन भत्ता के रूप में।</p> <p>(ख) स्थानान्तरण भत्ता रू0-10000/- प्रत्येक परिवार को (पैरा 7.11 एन आर आर पी 2007)</p> <p>(ग) रू0-1500/- की सहायता पशुशाला की क्षतिपूर्ति हेतु</p> <p>(घ) यदि प्रभावित पार्टी ग्रामीण कारीगर, छोटा व्यापारी या स्वरोजगार व्यक्ति है, रू0 25000/- की सहायता, वर्किंग शेड/दुकान बनाने हेतु</p>

				(ड) गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को घर बनाने की सहायता हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्तमान लागत के समकक्ष एवं शहरी क्षेत्रों में जे0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत लागत के समकक्ष
--	--	--	--	--

(ड़) आजीविका की हानि

8	परियोजना के रास्ते में रहने वाले परिवार	शीर्षधारक/गैर शीर्ष धारक/बंटाईदार /कृषि मजदूर और कर्मचारी	पुनर्वास सहायता	<p>(i) पुनर्वास सहायता 750 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के समतुल्य उन परिवारों को जिन्होंने अपनी आजीविका गवाँ दी है (एम आर आर पी पैरा-7.14) परन्तु ऐसे भू स्वामी जिन्होंने उपरोक्त सेक्शन 1(v) के अन्तर्गत 750 दिनों के बराबर न्यूनतम मजदूरी की सहायता का लाभ लेंगे, इस सहायता के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>(ii) प्रत्येक परिवार को ₹0 4000/- प्रशिक्षण सहायता आमदनी अर्जित करने हेतु</p> <p>(iii) परियोजना ठेकेदार द्वारा निर्माण के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को (विशेष तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को) अस्थायी रोजगार</p>
---	---	---	-----------------	--

(च) वलनरेबल ग्रुप (जैसा कि नोट ड में परिभाषित किया गया है) और गरीबी रेखा से नीचे वालों को अतिरिक्त सहायता

9	रास्ते में आने वाले प्रभावित परिवार	रास्ते में आने वाले प्रभावित परिवार	पुनः स्थापना और पुनर्वास सहायता	न्यूनतम मजदूरी के 300 दिनों के बराबर एक मुश्त अतिरिक्त वित्तीय सहायता
---	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---

(च2) अनु. ज. जाति के प्रभावित परिवारों की अतिरिक्त सहायता

10	प्रभावित अनु० जन जाति	रास्ते में आने वाले प्रभावित परिवार	पुनर्वास सहायता	<p>(i) प्रचलित अधिकार या वन उत्पादक उपयोग की हानि के लिए प्रत्येक अनु.ज. जाति के प्रभावित परिवार को न्यूनतम कृषि मजदूर के 500 दिनों के बराबर एक अतिरिक्त एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। (पैरा 7.21.5 एन आर आर पी 2007)</p> <p>(ii) भूमि अधिग्रहण के मामले में प्रत्येक अनु.जन जाति के प्रभावित परिवार को क्षतिपूर्ति राशि की कम से कम एक तिहाई राशि प्रथम किश्त के रूप में प्रारंभ में दी जाएगी जबकि शेष राशि भूमि के कब्जे के समय दी जाएगी। (पैरा 7.21.4 एन आर आर पी 2007)</p>
----	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	---

(छ) सामुदायिक अवसंरचना / सामुहिक संपत्ति संसाधनों की हानि

11	रास्ते में ढांचे और अन्य संसाधन (जैसे भूमि, पानी, सामाजिक सेवाओं की पहुँच आदि)	प्रभावित समुदाय और समूह	सामुदायिक ढांचे और सामूहिक संपत्ति संसाधनों का पुनः निर्माण	समुदाय से पारमर्श करके जो भी उचित हो सामुदायिक ढांचे का पुनः निर्माण और सामूहिक संपत्ति संसाधनों का स्थानापन्न
----	--	-------------------------	---	--

(ज) निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव

12	निर्माण के दौरान स्थायी रूप से प्रभावित भूमि और संपत्तियाँ	भूमि और संपत्तियों के स्वामी	निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव के लिए क्षतिपूर्ति जैसे सामान्य यातायात का विद्यटन, भारी मशीनरी और प्लांट स्थल के संचलन के	निर्माण के दौरान मशीनरी के संचलन या निर्माण प्लांट की स्थापना के कारण ढांचे या भूमि पर किसी प्रभाव की क्षतिपूर्ति लागत को ठेकेदार स्वयं वहन करेगा। प्रस्तावित रास्ते के बाहर पड़ने वाली भूमि के समस्त अस्थायी उपयोग के लिए भू स्वामी और ठेकेदार के बीच
----	--	------------------------------	--	--

			कारण भूमि संपत्तियों के समीपवर्ती के नुकसान के कारण	भूमि के पार्सल कारण	लिखित अनुमोदन होना चाहिए। ठेकेदारों द्वारा निर्माण स्थलों की स्थापना डीएफसीसीआईएल से परामर्श करके की जाएगी।
--	--	--	---	---------------------	---

नोट क

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षतिपूर्ति का निर्धारण आर ए ए 2008, धारा 20 जी में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जो भूमि की बाजार दर का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मापदंड का उल्लेख करता है:—

(i) न्यूनतम भूमि दर, यदि कोई हो, क्षेत्र में बिक्री कार्यों के पंजीकरण के लिए भारतीय स्टैप अधिनियम 1899 में उल्लिखित, जहां भूमि स्थित हो, या

(ii) गांव या आस पास के क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए बिक्री मूल्य का औसत, तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत बिक्रीनामों के 50 प्रतिशत से कम न हो, जहां उच्च कीमत दी गई है, जो अधिक हो।

2. जहां कहीं उपर्युक्त प्रावधान लागू न हों, संबंधित राज्य सरकार उक्त भूमि की प्रति इकाई क्षेत्र की फ्लोर कीमत का आस पास के क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार मकी भूमि के लिए दिए गए औसत उच्च मीमतों के आधार पर उल्लेख करेगी जो पिछले 3 वर्षों के दौरान पंजीकृत बिक्रीनामों के 50 प्रतिशत से कम न हो जहां उच्च कीमत दी गई हो और सक्षम प्राधिकारी तदनुसार भूमि के मूल्य की गणना करे (आर ए ए 2008 की धारा 20 जी का अनुपालन किया जाएगा)

3. क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करते समय सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ आर ए ए 2008 की धारा 20 एफ (8) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखेगा।

(i) भूमि का कब्जा लेते समय इच्छुक व्यक्तियों द्वारा यदि कोई नुकसान किया गया है जिसका कारण ऐसी भूमि का अन्य भूमि से कठिनता का दिया गया हो

(ii) भूमि का कब्जा लेते समय इच्छुक व्यक्तियों द्वारा कोई नुकसान किया गया है जिस कारण अधिग्रहण उसकी अन्य अचल सम्पत्ति या उसकी आय को किसी भी प्रकार से प्रभावित करता हो

(iii) यदि भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप इच्छुक व्यक्ति को उसका निवास या व्यापार स्थल बदलने के लिए दबाव डाला जाता है तो इस संबंध में होने वाले खर्च, यदि कोई है तो ऐसे परिवर्तन के लिए व प्रासंगिक होंगे।

4. अधिगृहीत को जा रही भूमि के बाजार मूल्य का मूल्यांकन और निर्धारण करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित करेगा :-

(i) ऐसी भूमि की नियत भूमि के प्रयोग की श्रेणी को जान लेना और

(ii) समीपवर्ती क्षेत्रों या आस पड़ोस में भूमि की नियत श्रेणी के मूल्य को जान लेना।

5. प्रयोगकर्ता के अधिकार के मामले में या किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार की प्रकृति में यदि कोई भूमि अधिगृहीत की जाती है तो आर ए ए 2008 की धारा 20 एफ (1) के अंतर्गत निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि के 10 प्रतिशत की राशि का भुगतान ई ए द्वारा मालिक और अन्य दूसरे व्यक्ति को जिसका भूमि के प्रयोग का अधिकार प्रभावित होता हो, को किया जाएगा।

नोट 'ख'

डीएफसीसीआईएल सरकार के साथ पंजीकृत एक स्वतंत्र मूल्यांकन कर्त्ता को रखेगी जो निम्नानुसार स्थानापन्न लागत का मूल्यांकन करने के लिए सहायता कर सकता है और सक्षम प्राधिकारी तथ्य उपलब्ध करा सकता है:

(i) हाल ही में ब्रिकी किए गए और हस्तांतरण किए गए आगम पत्रों का मूल्यांकन करना और गांव या शहरी क्षेत्र और आस पड़ोस में उसी तरह की भूमि के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(ii) जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्कल रेट का तय करना।

(iii) भूमि के लिए कृषि उत्पादकता दर तय करना – 20 वर्षों के लिए।

भूमि के लिए क्षतिपूर्ति तय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी यदि चाहे तो स्वतंत्र मूल्यांकन से तथ्य ले सकता है।

नोट 'ग'

यदि शेष बचे हुए प्लॉट (प्लॉटों) एकनोमिकली जीने के योग्य नहीं है तो ई. ए. राज्य में लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा और तदनुसार क्षतिपूर्ति करेगा, यदि ई.ए. की खरीद के बाद जिले में मौजूद भूमि के औसत से शेष

बची हुई भूमि कम है तो इस संबंध में वहां राज्य के नियम और विनियम स्पष्ट नहीं है तो प्रभावित पार्टी से करार करते समय ई.ए. निम्नलिखित में से एक का अनुपालन करेगा :

(i) ई.ए. इनटाइटलमेंट मैट्रिक्स में सूचीबद्ध इनटाइटलमेंट मैट्रिक्स का अनुपालन करते हुए परियोजना के लिए शेष भूमि की खरीद करेगा : या

(ii) ई.ए. भूमि की क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत प्रभावित पार्टी को उस जमीन के लिए देगा जो खरीदी नहीं गई हो।

नोट 'घ'

घरों, भवनों और अन्य अचल संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण बिना मूल्य हास के आधार सूची दर का उल्लेख करते हुए स्थानापन्न लागत के आधार पर किया जाएगा। आधार सूची दर का विचार करते समय सरकार के साथ पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकन क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण इलाकों में रिहायशी और वाणिज्यिक ढांचों के लिए नवीनतम आधार सूची दर और मालिकों से परामर्श करके प्रयोग करेगा।

नोट 'ङ'

एन आर आर पी 2007 वल्लेवरल व्यक्तियों को अयोग्य, निराश्रय, अनाथ, विधवा, अविवाहित लड़कियों, परित्यक्ता स्त्री या ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, जिन्हें वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध नहीं है और जो कहीं भी परिवार के हिस्से के रूप में कवर नहीं होते हैं, को परिभाषित किया गया है। (पैरा 6.4 (v) एन आर आर पी 2007)

नोट 'च'

सीमांत किसान

ऐसा खेतीहर जिसके पास एक हैक्टेयर तक असिंचित भूमि हो या आधे हैक्टेयर तक सिंचित हो।

छोटा किसान

ऐसा खेतीहर जिसके पास दो हैक्टेयर तक असिंचित भूमि है या एक हैक्टेयर तक सिंचित भूमि हों, किन्तु सीमांत किसान से अधिक हो।

अतिक्रमणकारी

एक व्यक्ति/परिवार जो अपनी समीपवर्ती भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति के साथ सार्वजनिक भूमि में अतिक्रमण करता है (अन्तिम तारीख से पहले) और अपना आश्रय/आजीविका का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त करता है।

स्कवैटर्स


ऐसा व्यक्ति/परिवार जो बिना अनुमति के सार्वजनिक भूमि पर स्थापित हो गया है या अंतिम तारीख से पहले बिना किसी प्राधिकार के सार्वजनिक भवन का इस्तेमाल कर रहा है और अपने आश्रय/आजीविका के लिए निर्भर है और उसका कोई आश्रय या आजीविका का स्रोत नहीं है।

संस्थागत व्यवस्थाएं


डीएफसीसीआईएल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते परियोजना के समस्त तकनीकी पहलुओं और उनके कार्यान्वयन तथा उधार ली गई राशि की निगरानी और समस्त कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। प्रबंध निदेशक, डीएफसीसीआईएल संगठन का मुखिया होने के नाते आर ए पी के सफलतापूर्वक

कियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। डीएफसीसीआईएल ने पहले ही वडोदरा—अहमदाबाद—अजमेर—जयपुर और नोएडा में परियोजना प्रबंध इकाई का कार्य करने के लिए मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय (सीपीएम आफिस) स्थापित कर दिए हैं और महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा इनका नेतृत्व किया जाता है। प्रधान कार्यालय में एक पर्यावरण और सामाजिक इकाई(सेमू) महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में स्थापित की गई जिसका काम भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा पुनः स्थापना प्रक्रिया देखना है। प्रधान कार्यालय और परियोजना कार्यालय का संगठनात्मक ढाँचा चित्र 1 और चित्र 2 में दर्शाया गया है।

सामाजिक और पर्यावरण प्रबंधन इकाई (सेमू) डी ऍफ़ सी सी आइ एल



परियोजना में सेमू कार्यालय, डी ऍफ़ सी सी आइ एल



शिकायत निपटान तंत्र— एन आर आर पी 2007, सेक्शन 8.1 के अनुसार मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर पी ए पी / पी ए एफस और अन्य किसी भी स्थानीय निवासी जो कि डीएफसी की परियोजना को लागू होने में शिकायत करता है, के निवारण हेतु पुनःस्थापना एवं पुनर्वास समितियाँ होंगी।

क्षेत्रीय स्तर पर शिकायत निपटान:

(1) मुख्य परियोजना प्रबन्धक की अगुवाई में पुनःस्थापना एवं पुनर्वास समिति होगी जिसके अन्तर्गत निम्न लोग होंगे—

(क) सम्बन्धित जिले के जिला कलक्टर या उनके नामित (चेयर)

(ख) उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक

(ग) सक्षम प्राधिकारी या प्रशासक (आमंत्रित) —

(घ) सम्बन्धित सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर

(ङ) जिला परिषद अध्यक्ष या उनका/उनकी नामित

(च) सहायक एन जी ओ के सदस्य

(2) प्रोजेक्ट स्तर पर शिकायत निपटान

महाप्रबन्धक (सेमू) की अगुवाई में—

(क) डाइरेक्टर (पी पी)

(ख) महाप्रबन्धक एल ए एवं सेमू

(ग) निदेशक योजना रेल मंत्रालय

(घ) उप महाप्रबन्धक—शिकायत

(ङ) वरिष्ठ सामाजिक विकास विशेषज्ञ

(3) आर्बीट्रेटर की भूमिका— इस मामले में, भारत के राजपत्र द्वारा नियुक्त, आर्बीट्रेटर आर आर ए 2008 के अनुसार पी ए एफस को देय मुआवजे से सम्बन्धित शिकायत को सुनेंगे व निपटान करेंगे।

(4) रेल मंत्रालय द्वारा नियुक्त लोकपाल ऐसी शिकायतों का निपटान करेगा, जो डीएफसीसीआईएल द्वारा गठित पुनः स्थापना व पुनर्वास समिति द्वारा न निपटाया जा सकता हो।

डीएफसी में कार्पोरेट स्तर पर शिकायत निपटान प्रणाली

(1) क्षेत्रीय स्तर पर शिकायत निपटान प्रणाली

कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक और अन्य सम्पत्तियों से संबन्धित शिकायत प्रारम्भिक तौर पर मु0 परियोजना प्रबन्धक कार्यालय द्वारा निपटान होगा। अगर कागजातों की जाँच वास्तविक लगते हैं तो मु0 परि0 प्रबन्धक ही उसे हल करेंगे। अगर उनके स्तर पर हल नहीं हो सकता है, तो उसे कारपोरेट कार्यालय को अग्रसारित किया जायेगा।

(2) कार्पोरेट स्तर शिकायत निपटान प्रणाली

1. एक केंदीकृत शिकायत निपटान प्रणाली जिसमें एक परियोजना रोजनामचा के साथ—साथ प्राप्त शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति को दर्शाते हहुए एक प्रणाली की स्थापना डीएफसीसीएल द्वारा की जाएगी।

2. शिकायत निपटान प्रणाली रेल मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित की जायेगी।

3. शिकायत रजिस्टर प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय और कार्पोरेट स्तर पर प्रत्येक समूह महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के पास रख दिया गया है। संबंधित कार्यालय द्वारा प्राप्त सभी शिकायतें इस रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। सतर्कता कोण वाली शिकायतों को संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास भेजा जाएगा।
4. प्राप्त शिकायतों के निपटान की निगरानी के लिए महाप्रबंधक/प्रौद्यो. को नामित किया गया है जो मासिक आधार पर निदेशक मंडल को स्थिति प्रस्तुत करेंगे।
5. प्रत्येक मामले की स्वचालित उत्पत्ति, मानक प्रपत्र रिपोर्ट सभी प्राप्त शिकायतों के रिकार्ड और निपटान की जिम्मेदारी डीएफसीसीआईएल की होगी।
6. डीएफसी सभी शिकायतों, चाहे वे किसी भी स्रोत से प्राप्त हुई हों, का उत्तर सामान्यतः प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर देगी।
7. टिप्पणियों, सुझावों और शिकायतों के निपटान से संबंधित एक घटक वैबसाइट (<http://www.dfccil.org>) पर शामिल किया जाएगा। इसे मासिक आधार पर अद्यतन किया जायेगा। शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायतों की आनलाइन ट्रैकिंग में भी यह साइट सक्षम होगी।
8. जांचों की स्थिति की टकिंग और लिए गए उपायों को प्रबंधन के पास जाने वाली मासिक रिपोर्टों में दर्ज किया जाएगा।
9. शिकायत तंत्र के कार्यकुशल संचालन के लिए संबंधित सूचना को शिकायत के विभिन्न माध्यमों जैसे वैबसाइट, कार्यस्थलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के सूचना पट्टों पर विस्तार से प्रकाशित किया जाएगा।
- 10 शिकायत निपटान प्रणाली सर्वेक्षित एवं असर्वेक्षित उपाधिधारियों के लिए समान होगी।

लागत अनुमान

अनुमानित बजट आर आर पी प्रथम चरण के मुख्य रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

आर आर पी रिपोर्ट का वितरण

विस्तृत सूचनाओं के साथ, आर आर पी रिपोर्ट निम्नलिखित जगहों पर उपलब्ध होगी।

– आर आर पी रिपोर्ट का सारांश अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा (हिन्दी या गुजराती) में प्रत्येक प्रभावित गाँवों में ।

– आर आरपी रिपोर्ट का सम्पूर्ण भाग– अंग्रेजी भाषा में सम्बन्धित मु० परि० प्रबन्धक कार्यालय, डीएफसीसीआईएल कारपोरेट कार्यालय प्रमुख रेलवे स्टेशनों एवं जिला कलेक्ट्रेट ।

कार्यालयों में सम्बन्धित संगठनों के सम्पर्क सूत्र

मुख्य परियोजना प्रबन्धक वडोदरा:– चौथा तालए ब्लाक-अए नर्मदा नहर भवन (सरदार सरोवर नर्मदा निगम ऑफिस) चन्नी जकात नकाए वडोदरा - ३९५००२ ए गुजरात

मुख्य परियोजना प्रबन्धक अहमदाबाद :- पहली मंजिल, पुराना डी आर एम बिल्डिंग, कालुपुर अहमदाबाद, गुजरात 380002

मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय अजमेर,42अ /3, सिविल लाइन, अजमेर -305001, राजस्थान

मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय जयपुर, बी-12, हनुमान नगर, सिरफी रोड, जयपुर - 202021, राजस्थान और

मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय नॉएडा ,डी-89, पहला तला, सेक्टर-2, नॉएडा- 301201, उत्तर प्रदेश

सक्षम प्राधिकारी

1. वडोदरा जिला: भूमि अर्जन अधिकारी, यूनिट नंबर 1 वडोदरा, छठी मंजिल, कुबेर भवन, कोठी परिसर, वडोदरा गुजरात;
2. आनंद जिला: (i) प्रांत अधिकारी, आनंद, प्रान्त अधिकारियों के कार्यालय, अमूल डेयरी रोड, आनंद, गुजरात प्रान्त (ii) अधिकारी, petlad, प्रांत अधिकारी के कार्यालय, petlad, गुजरात;
3. खेड़ा जिला: भूमि अर्जन अधिकारी, खेड़ा, पुराने कलेक्टोरेट कार्यालयखेड़ा जिला खेड़ा, गुजरात;

4. अहमदाबाद जिला: दूसरा अतिरिक्त विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पहली मंजिल, जिला सेवा सदन, कलेक्ट्रेट कार्यालय, अहमदाबाद, गुजरात;
5. गांधीनगर जिला: विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गांधी नगर, बहुमंजिली इमारत, डी ब्लॉक, पहली मंजिल, सेक्टर-11, गांधीनगर, गुजरात;
6. मेहसाना जिला: विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कार्यालय नंबर 1, मेहसाना ब्लॉक no.3, तीसरी मंजिल, बहुमंजिली इमारत, मेहसाना, गुजरात;
7. पाटन जिला: प्रान्त अधिकारी, पाटन, कला और वाणिज्य कॉलेज रोड, पाटन, गुजरात;
8. बनासकांठा जिला: डिप्टी कलेक्टर, पालनपुर, भूमि तल, jorawar जगह, कलेक्ट्रेट कार्यालय, बनासकांठा, पालनपुर, गुजरात;
9. सिरोही जिला: उप प्रभागीय अधिकारी (upkhand अधिकारी), अबू पर्वत, सिरोही;
10. पाली जिला: (i) उप मंडल (upkhand अधिकारी) अधिकारी, सुमेर पुर, (ii) उप मंडल अधिकारी (upkhand अधिकारी), बाली, (iii) उप मंडल अधिकारी (upkhand अधिकारी), Sojat (iv) उप मंडल अधिकारी (upkhand अधिकारी), jaitaran और (v) उप मंडल अधिकारी (upkhand अधिकारी), desuri;
11. अजमेर जिला: (i) उप प्रभागीय अधिकारी (upkhand अधिकारी), अजमेर, (ii) उप प्रभागीय अधिकारी (upkhand अधिकारी), ब्यावर, (iii) उप प्रभागीय अधिकारी (upkhand अधिकारी), किशनगढ़, (iv) उप प्रभागीय अधिकारी (upkhand अधिकारी) Masuda और (v) उप प्रभागीय अधिकारी (upkhand अधिकारी), Masuda;
12. नागौर जिला: उपप्रभागीय अधिकारी, (upkhand अधिकारी), नवा
13. जयपुर जिला: उप प्रभागीय अधिकारी (upkhand अधिकारी), सांभर, उप प्रभागीय अधिकारी (upkhand अधिकारी), दादू और उप मंडल अधिकारी (upkhand अधिकारी), Chomu;
14. अलवरजिला: उप प्रभागीय अधिकारी, (upkhand अधिकारी) बहरोड़;

15. सीकर जिला: उप प्रभागीय अधिकारी (upkhand अधिकारी), नीम का थाना और
(ii) उप प्रभागीय अधिकारी (upkhand अधिकारी) श्री माधोपुर
16. महेन्द्रगढ़ जिला: कार्यपालक मजिस्ट्रेट, महेन्द्रगढ़, और
17. रेवाड़ी जिला: जिला राजस्व अधिकारी, रेवाड़ी

आर्बीट्रेटर

1. आनंद, वडोदरा जिला: मत्स्य पालन आयुक्त;
2. अहमदाबाद, गांधीनगर, और खेड़ा जिला: आयुक्त आदिवासी विकास;
3. बनासकाँठा, मेहसाना और पाटन जिला: विकास आयुक्त;
4. पाली और सिरोही जिला: संभागीय आयुक्त, जोधपुर ;
5. अजमेर और नागौर जिला: संभागीय आयुक्त, अजमेर;
6. जयपुर, अलवर और सीकर जिला: संभागीय आयुक्त, जयपुर और
7. रेवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिला: संभागीय आयुक्त, गुड़गांव

मुख्य परियोजना प्रबन्धक जयपुर :- चौथी मंजिल, अरुणस-1 इजकोन मॉल के पास,
दूमास रोड, पीपलोड, सूरत- 395007, गुजरात

मुख्य परियोजना प्रबन्धक नोएडा:- स्टार हाउस, फर्स्ट फ्लोर, ए-102, सेक्टर-4,
नोएडा, उत्तर प्रदेश

सक्षम प्राधिकारी:-

1. जिला रायगढ़: काम्प्यूटेन्ट आथोरिटी और डिप्टी कलेक्टर (लेण्ड इक्यूजीसन)
रायगढ़, मेट्रो सेन्टर न.0-1, उडान, रायगढ़, सीआइडीसीओ नोदाल ऑफिस,
इंजीनियरिंग सेक्शन, द्रोणानगरी, सेक्टर-14, बोकडवीरा, तौलका उडान, रायगढ़
2. जिला थाने:- काम्प्यूटेन्ट आथोरिटी और डिप्टी कलेक्टर (लेण्ड इक्यूजीसन
आफिसर), वस्टरन फेट कोरीडोर, सूर्या प्रकल्प, ईरानी रोड, ओपीपी, आईडीबीआई
बैंक,
3. जिला वलसाद:- काम्प्यूटेन्ट आथोरिटी और डिप्टी कलेक्टर (लेण्ड इक्यूजीसन
आफिसर), सेकण्ड फ्लोर, जिला सेवा सदन-2, कलेक्टर ऑफिस, वलसाद

4. जिला नवसारी:- डिप्टी कलेक्टर और काम्प्यूटेन्ट आथोरिटी, फर्स्ट फ्लोर, "सी" ब्लॉक, मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग, जनाथना, नवसारी
5. जिला सूरत:- काम्प्यूटेन्ट आथोरिटी और स्पेशल लेण्ड इक्यूजीसन ऑफिसर, ब्रान्च नं0.4, पाचवीं मंजिल "ए" ब्लॉक, बहुमाली भवन, सूरत
6. जिला बहुरच:- :- काम्प्यूटेन्ट आथोरिटी और स्पेशल लेण्ड इक्यूजीसन ऑफिसर, लेण्ड इक्यूजीसन ब्रान्च, कलेक्टर ऑफिस, बहुरच
7. जिला वडोदरा:- स्पेशल लेण्ड इक्यूजीसन ऑफिसर यूनिट नं0.1, रूम नं0-615, छठी मंजिल, कुबेर भवन, कोठी कम्पाउन्ड, वडोदरा
8. जिला रेवाड़ी:- डिस्ट्रीक्ट रेवन्यू ऑफिसर(डी आर ओ), डी सी ऑफिस, मिनी सेक्रेटरियट, रेवाड़ी
- 9.जिला अलवर:- सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (सीडीएम)/एसडीओ, एसडीएम/तिजारा, तहसील तिजारा, अलवर
10. जिला मेवात:- डिसट्रिक्ट रेवन्यू ऑफिसर(डीआरओ),डीसी ऑफिस, डिसट्रिक्ट सेक्रेटरियट, नूह, मेवात
11. जिला गुडगाँव:- डिसट्रिक्ट रेवन्यू ऑफिसर(डीआरओ), मिनी सेक्रेटरियट,गुडगाँव
- 12.जिला पलवल:- सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम),एसडीएम ऑफिस, पलवल
13. जिला फरीदाबाद:- डिस्ट्रीक्ट रेवन्यू ऑफिसर (डीआरओ),मिनी सेक्रेटरियट, सेक्टर-12,फरीदाबाद
14. जिला गौतमबुद्ध नगर:- सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम (सदर,) डीएम ऑफिस, गौतमबुद्ध नगर

आर्बीट्रेटर

१. रायगढ़ और ठाणे जिले : अपर संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन
२. वलसाड नवसारी और सूरत जिले: राजस्व निरीक्षण आयुक्त और मानद सचिव

३. भरूच और वडोदरा जिले: मत्स्य आयुक्त

४. रेवाड़ी, गुडगाँव और फरीदाबाद जिले: संभागीय आयुक्त गुडगाँव

५. अलवर जिला: संभागीय आयुक्त जयपुर

६. मेवात जिला: नियुक्ति प्रगति पर है

७. पलवल जिला: नियुक्ति प्रगति पर है

८. गौतम बुध नगर जिला: आयुक्त सहारनपुर संभाग, सहारनपुर

सेमू, डीएफसीसीआईएल हेड ऑफिस:- प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, न्यू दिल्ली- 110001

लोकपाल, डीएफसीसीआईएल हेड ऑफिस:- प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, न्यू दिल्ली- 110001